राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 530/2025

पवन कुमार स्वर्णकार **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्ववास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **21**.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सीनियर नर्सिंग ऑफीसर के पद पर राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आलौच्य आदेश बिना मस्तिष्का का प्रयोग किये एवं बिना प्रशासनिक आवश्यक्ता के जारी किया गया है। अपीलार्थी के सेवा अभिलेख में अपीलार्थी का नाम पवन कुमार स्वर्णकार अंकित है, जबकि आलौच्य आदेश में अपीलनार्थी का नाम पवन कुमार सोनी दर्शाकर स्थानान्तरण किया गया है। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3074/2024 मंजू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें त्रुटिपूर्ण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना गया है। इसलिए उक्त आलौच्य

आदेश अनुचित, त्रुटिपूर्ण एवं विधि के विरूद्ध है। उक्त आलौच्य आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य